"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 जून 2012—ज्येष्ठ 11, शक 1934

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मई 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—सुश्री शिखा राजपूत, भा.प्र.से. (2008) अपर कलेक्टर, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुन्द के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री चंद्रकांत उइके, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुन्द को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अपर कलेक्टर, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

रायपुर, दिनांक 10 मई 2012

क्रमांक एफ 3-5/2011/1-7.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-05-2011 द्वारा राज्य के जिला दंतेवाड़ा के चिन्तलनार क्षेत्र में हुई नक्सलवादी एवं पुलिस मुठभेड़ व आगजनी की घटना की न्यायिक जांच के लिये विशेष जांच आयोग का गठन किया गया है. आयोग द्वारा तीन माह के भीतर राज्य शासन को जांच रिपोर्ट सौंपी जानी थी.

2. निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण न होने के फलस्वरूप इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-08-2011 द्वारा आयोग के कार्यकाल में तीन माह एवं अधिसूचना दिनांक 18-11-2011 द्वारा पुन: छ: माह की समयवृद्धि की गई थी. चूंकि जांच प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, अत: राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में 6 माह (दिनांक 12-05-2012 से दिनांक 11-11-2012 तक) की और समयवृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 4-11/2012/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना 2012" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन प्रतिवर्ष प्रदेश के पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकारों को प्रदाय किया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) यह योजना असंगठित महिला कर्मकार जो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई (दर्जी) का काम करती है एवं किसी नियोजक के यहां कार्यरत है अथवा स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर अपना एवं अपने परिवार का जीवन-यापन करते हैं एवं प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो, को प्रदाय किया जावेगा.

(ii) पंजीकृत महिला श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष आयु समूह.

(iii) मंडल द्वारा लागू सायकल सहायता योजना तथा राज्य शासन के अन्य विभागों द्वारा लागू किये गये किसी अन्य योजनांतर्गत सिलाई मशीन हेतु सहायता/लाभ न प्राप्त किया हो.

(iv) जो कर्मकार सायकल सहायता योजना अंतर्गत लाभ लेगा वह सिलाई मशीन सहायता योजना अंतर्गत लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे.

(v) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर.

(ii) आवेदन में पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यकता है.

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त 1 अन्य अधिकारी की समिति को होगा.

(ई) विसंगति का निराकरण :—

(i) योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 4-11/2012/16.— असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(अ) योजना का प्रावधान :—

(i) योजना का नाम "असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना 2012" होगा.

(ii) पंजीकृत असंगठित कर्मकार जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर इलाज हेतु रुपये 50,000/- की चिकित्सा सहायता प्रदान की जायेगी.

(iii) योजना के प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा.

(iv) योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी में किडनी, कैंसर, सिकलिंग, (सिकलसेल एनिमिया) हृदय रोग, एड्स एवं लकवा रोग सम्मिलित होंगे.

(ब) योजना की पात्रता :—

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश असंगठित कर्मकारों का मण्डल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना आवश्यक हैं.

(ii) 18 से 60 वर्ष की उम्र के असंगठित कर्मकार इस योजना के लिए पात्र होंगे.

(iii) असंगठित कर्मकार का हिताधिकारी के रूप में अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए.

(iv) योजना का लाभ एक बार प्राप्त होगा.

(v) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

(i) असंगठित कर्मकार की चिकित्सा सहायता हेतु स्वत: द्वारा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

(ii) आवेदन पत्र के साथ संबंधित बीमारी के संबंध में विकासखंड चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा. संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र में संबंधित बीमारी के चिकित्सा खर्च की अनुमानित व्यय का उल्लेख किया जाना आवश्यक है.

(द) स्वीकृति का अधिकार :—

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त 1 अन्य अधिकारी की समिति को होगा.

(ii) स्वीकृत किये गये राशि संबंधित हितग्राही को एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान किया जावेगा.

(ई) विसंगति का निराकरण :—

(i) योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2012

क्रमांक एफ 1-26/2001/(6) 52.—शासन एतद्द्वारा राज्य के कुम्हारी (पोटरी) एवं मिट्टी के कार्य करने वाले कुंभकारों/कारीगरों के व्यवसाय में वृद्धि तथा आर्थिक, तकनीकी विकास एवं विपणन आदि सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत छ.ग. माटीकला बोर्ड का गठन निम्नानुसार करता है :—

1. **बोर्ड के क्षेत्राधिकार में निम्नांकित विषय होंगे :—**

    1. कुम्हारी कार्य उद्योगों से संबंधित अधोसंरचना जैसे बिजली, पानी पहुंच मार्ग की व्यवस्था के संबंध में निरीक्षण एवं सुझाव देना.

    2. बोर्ड अपनी आवश्यकता के अनुसार छत्तीसगढ़ के अंदर एवं छत्तीसगढ़ के बाहर कहीं भी अन्य इकाईयां, कार्यालय, एम्पोरियम तथा एजेंसी नियुक्त व स्थापित कर सकेगा.

    3. माटीकला के माध्यम से कुम्भकारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, अधिकाधिक रोजगार के लिये प्रशिक्षण आदि संचालित करना.

    4. परम्परागत एवं प्रशिक्षित शिल्पियों के डिजाईन विकास अधिकाधिक उत्पादन एवं उत्पादन में ग्लेजिंग आदि की व्यवस्था के लिये तकनीकी कार्यशालाएं, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक विकासात्मक गतिविधियां जैसे नवीनतम औजार उपकरण, कर्मशाला निर्माण, ब्याज अनुदान सहायता आदि सहायता उपलब्ध कराकर कार्यवाही करना.

    5. परम्परागत एवं प्रशिक्षित शिल्पियों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टि से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार का ज्ञान कराना, प्रचार-प्रसार तथा प्रदर्शनियों का आयोजना करना.

    6. शिल्पियों को विक्रय कला में निपुण करने तथा क्रेता-विक्रेता संवाद, बाजार मांग आदि को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित प्रदर्शनियों में बारी-बारी से कुंभकार हितग्राहियों को सम्मिलित किया जावेगा तथा बोर्ड के संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित नीति अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जावेगी.

    7. कुंभकारों के सर्वांगीण विकास के लिये नीतियां बनाना, शासन से विभिन्न योजनाएं स्वीकृत करना, बजट प्राप्त करना तथा तदनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन करना.

    8. भारत सरकार विशेषकर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार एवं खादी आयोग द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन करना.

    9. माटी कार्य कुम्हारी (पोटरी) एवं शिल्प उद्योग के लिये नीति का निर्माण करने तथा विनियोजन, अनुदान, वेट टैक्स, विद्युत दरों आदि में इस उद्योग को सुविधा न प्रदान करने पर सुझाव देना.

    10. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र से माटी कार्य करने वालों को सुविधाएं एवं सेवायें उपलब्ध कराने के संबंध में समन्वय की व्यवस्था करना.

    11. माटी का कार्य करने वाले कारीगरों एवं उद्योगों की समस्याओं का निराकरण करने का सुझाव दे-

2. **बोर्ड का संचालक मण्डल :—** छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड के सदस्य निम्नानुसार होंगे :—

बोर्ड का संचालक मण्डल :—

1. शासन द्वारा नामित व्यक्ति — अध्यक्ष

2.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग विभाग या नामांकित प्रतिनिधि जो उप सचिव या उससे उच्च स्तर का हो.	सदस्य
3.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग या नामांकित प्रतिनिधि (जो उप सचिव या उससे उच्च स्तर का हो)	सदस्य
4.	सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग या नामांकित प्रतिनिधि (जो उप सचिव या उससे उच्च स्तर का हो)	सदस्य
5.	प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	सदस्य
6.	निदेशक, राज्य कार्यालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग	सदस्य
7.	अशासकीय सदस्य-अधिकतम पांच	शासन द्वारा नामांकित
8.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड	सदस्य सचिव

टीप :— बोर्ड के संचालक मण्डल में कुम्हारी (पोटरी) एवं समाज सेवा से जुड़े हुये कुम्भकारों/व्यक्तियों को अशासकीय सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकेगा.

3. **बोर्ड के प्रबंध संचालक** :— बोर्ड के प्रबंध संचालक, ग्रामोद्योग विभाग के सचिव अथवा शासन द्वारा नामांकित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे. प्रबंध संचालक बोर्ड का सदस्य सचिव भी होगा.

4. **पदाधिकारियों का कार्यकाल** :— शासन द्वारा नामांकित अध्यक्ष एवं अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल शासन द्वारा निर्धारित अवधि अथवा शासन की मंशानुसार होगा.

6. **बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय सुविधाएं** :— संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित मंडल, आयोग, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्तसायी संस्थाओं के अध्यक्षों एवं सदस्यों को प्राप्त सुविधायें, वेतन भत्ते आदि इस बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय होंगे. इस संबंध में समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेश/निर्देश लागू होंगे.

7. **बोर्ड के कार्य** :—
   1. कुम्हारी कार्य उद्योगों से संबंधित अधोसंरचना जैसे बिजली, पानी पहुंच मार्ग की व्यवस्था के संबंध में निरीक्षण एवं सुझाव देना.
   2. माटी कला के माध्यम से कुम्भकारों को स्वरोजगार के अंवसर उपलब्ध कराना अधिकाधिक रोजगार के लिये प्रशिक्षण आदि संचालित करना.
   3. परम्परागत एवं प्रशिक्षित शिल्पियों के डिजाईन विकास, अधिकाधिक उत्पादन एवं उत्पादन में ग्लेजिंग आदि की व्यवस्था के लिये तकनीकी कार्यशालाएं, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करना.
   4. परम्परागत एवं प्रशिक्षक शिल्पियों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार का ज्ञान कराना प्रचार-प्रसार तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करना.
   5. कुम्भकारों के सर्वांगीण विकास के लिये नीतियां बनाना, शासन से विभिन्न योजनाएं स्वीकृत कराना, बजट प्राप्त करना तथा तदनुसार योजनाओं क्रियान्वयन करना.
   6. भारत सरकार विशेषकर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार एवं खादी आयोग द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन करना.

7. माटी कार्य कुम्हारी (पोटरी) एवं शिल्प उद्योग के लिये नीति का निर्माण करने तथा विनियोजन, अनुदान, वेट टैक्स, विद्युत दरों आदि में इस उद्योग को सुविधा प्रदान करने पर सुझाव देना.

8. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र से, माटी कार्य करने वालों को सुविधाएं एवं सेवायें उपलब्ध कराने के संबंध में समन्वय की व्यवस्था करना.

9. माटी का कार्य करने वाले कारीगरों एवं उद्योगों की समस्याओं का निराकरण करने का सुझाव देना.

10. माटीकला उद्योगों से संबंधित अधोसंरचना की सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क आदि की व्यवस्था एवं औद्योगिक क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर शेड आवंटन के लिये सुझाव देना.

11. प्रदेश में मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने, वर्तन, कवेलू, ईंट आदि उद्योगों के विकास के लिये वेट टैक्स, खनिज रायल्टी, वित्तीय सहायता, अनुदान की व्यवस्था ताकि इस उद्योग में कार्य करने वाले कामगारों को अपने निवेश पर पर्याप्त लाभ हो सके.

12. बैंक, वित्तीय संस्थाओं से नये उद्योग स्थापित करने के लिये नियमों का सरलीकरण एवं इस उद्योग में लगने वाले कच्चे माल की व्यवस्था रियायती दरों पर करना.

13. इस उद्योग के विकास हेतु कच्चे माल प्राप्ति के लिये नियमों का सरलीकरण एवं इस उद्योग में लगने वाले कच्चे माल की व्यवस्था रियायती दरों पर करना.

14. निर्यात को प्रोत्साहित करना. अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, प्रचार-प्रसार एवं अध्ययन दल भेजना.

15. शासकीय खरीदी में प्राथमिकता देने के संबंध में नीति बनाना.

16. नवीन तकनीकी का विकास एवं अध्ययन प्रवास पर कार्यवाही करना.

17. कुम्भकारों को लगने वाले औजार-उपकरण, कर्मशाला शेड, ब्याज प्रतिपूर्ति, अध्ययन प्रवास आदि के संबंध में योजना बनाकर बजट प्राप्त करना एवं कुम्भकारों, स्व-सहायता समूहों, स्वयंसेवी संस्थाओं, गठित समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा इनके माध्यम से योजना संचालित करना.

18. राज्य स्तरीय पुरस्कार का आयोजन करना एवं राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये कार्यवाही करना.

19. उपरोक्त के अतिरिक्त कुम्हारी उद्योग के जुड़े हुये हितग्राहियों के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाना, जिसमें पेंशन योजना, चश्मा प्रदाय योजना, डिजाईन तकनीकी संस्थानों में बच्चों की शिक्षा आदि के लिए योजना बनाना शामिल है.

20. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्देशित कार्यों का निर्वहन करना.

8. **बोर्ड के अधीन अमला :—** शासन द्वारा बोर्ड के गठन के बाद आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर वित्त विभाग के अनुमोदन पश्चात् अमला स्वीकृत कर पदस्थ किया जावेगा.

वर्तमान में वित्त विभाग द्वारा "छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड" के गठन हेतु वर्तमान में निम्नानुसार 19 पदों के सृजन की सहमति उनके यू.ओ. क्रमांक 111/बजट-5/वित्त/चार 2010 दिनांक 02-03-2012 द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है :—

मुख्यालयीन स्तर पर

क्र. (1)	सृजित पद का नाम (2)	पद संख्या (3)	वेतनमान+ग्रेड वेतन (4)
1.	महाप्रबंधक	01	15600-39100+7600

(1) [illegible]	(2) [illegible]	(3) [illegible]	(4) [illegible]
2.	प्रबंधक	02	15600-39100+6600
3.	विकास अधिकारी	02	15600-39100+5400
4.	लेखाधिकारी	01	15600-39100+5400
5.	शीघ्र लेखक ग्रेड-3	02	5200-20200+2800
6.	लेखापाल	01	5200-20200+2800
7.	कम्प्यूटर आपरेटर	02	5200-20200+2400
8.	सहायक ग्रेड-3	03	5200-20200+1900
9.	वाहन चालक	02	5200-20200+1900
10.	भृत्य सह चौकीदार	03	4750-7440+1300
	कुल पदों की संख्या	**19**	

उपरोक्त पदों की पूर्ति सीधी भरती/प्रतिनियुक्ति से की जा सकेगी.

9. बोर्ड अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को शासन के कर्मचारियों के समान वेतन-भत्ते एवं सुविधाएं तथा अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सक्षम होगा.

10. बोर्ड प्राप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण अपने अधिकारियों के बीच कर सकेगा.

11. कर्मचारियों के हित में भविष्य निधि, ग्रेज्युटी एवं अन्य कल्याणकारी निधियां तथा योजनाएं लागू की जा सकेगी.

12. **बजट, वित्त, लेखा एवं आडिट :—**

1. राज्य शासन द्वारा बोर्ड को विभिन्न योजनाओं के संचालन तथा कर्मचारियों को अनुदान उपलब्ध करायेगा.

2. बोर्ड द्वारा किसी सामान्य या विशेष अधिकार के तहत बोर्ड के समस्त कार्यकलापों को सुचारू रूप से निर्वहन के लिये जहां भी ठीक समझे उन स्रोतों से धनराशि प्राप्त कर सकेगा.

3. बोर्ड द्वारा विकास निधि/कोष बनाकर प्राप्त धन/बचत धनराशि जमा कर सकेगा.

4. बोर्ड अपने अधिकारी/कर्मचारियों एवं हितग्राहियों के कल्याणार्थ कल्याण कोष की स्थापना कर सकेगा.

5. बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित प्रारूप एवं समयावधि में आगामी वित्तीय वर्ष के लिये अपना बजट संभावित प्राप्ति एवं व्ययों का आंकलन दर्शाते हुए तैयार करेगा तथा स्वीकृति के लिये राज्य शासन की ओर अग्रेषित करेगा.

6. बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित समयावधि एवं निर्धारित स्वरूप के अनुसार अपना वार्षिक प्रतिवेदन विगत वर्ष के गतिविधियों का पूर्ण विवरण देते हुये तैयार करेगा तथा उसकी एक प्रति राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा.

7. बोर्ड की प्रकृति विकासात्मक होगी तथा हितग्राहियों के विकास एवं आर्थिक उन्नति के लिये होगी.

8. बोर्ड प्रतिवर्ष उपयुक्त ढंग से अपने लेखों का संधारण करेगा.

9. बोर्ड प्रतिवर्ष वार्षिक लेखा प्रपत्र तैयार करेगा तथा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण करवायेगा.

10. प्रारंभिक अवस्था में बोर्ड के सफल संचालन हेतु वांछित धनराशि आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराई जावेगी.

13. **विविध :—**

1. राज्य शासन सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुये बोर्ड को अधिक्रमित कर सकेगा.

2. बोर्ड के सभी सदस्य बोर्ड के अधिक्रमित होने की स्थिति में अपने पद को छोड़ देंगे.

3. बोर्ड के पुनर्गठन होने तक बोर्ड की सभी व नियंत्रित सम्पत्तियां राज्य शासन के अधीन रहेगी.

4. राज्य शासन को बोर्ड/संचालक मंडल को भंग करने, उसमें नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों को बदलने आदि का अधिकार होगा.

5. बोर्ड कुम्भकारों के विकास, कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये कल्याणकारी योजनाएं तथा अन्य क्रियाकलापों के लिये नियम बनाने तथा नियम प्रक्रिया लागू करने हेतु सक्षम होगा.

6. बोर्ड को किराये पर भवन लेने और कार्यालय उपस्करों में व्यय करने का अधिकार होगा.

7. बोर्ड का मुख्यालय रायपुर में होगा.

8. बोर्ड इस संकल्प के पारित होने/छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से संकल्प अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देगा.

9. बोर्ड का पंजीयन उपरोक्तानुसार प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत अथवा जैसा संचालक मंडल चाहे अन्य अधिनियमों के अंतर्गत किया जा सकेगा.

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पि. रमेष कुमार, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ 1-8/2011/मबावि/50.—केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक फा. सं. 1-32/2002/पुनर्गठन/रा.बो.प्र./छत्ती./619, दिनांक 05-09-2011 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती चन्नी वर्मा, रायपुर को आदेश जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिए अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड, रायपुर नियुक्त करता है.

No./F-1-8/2011/WCD/50.—The State Government hereby with the consent of Central Social Welfare Board, New Delhi vide their letter No. 1-32/2002/reconstitution/SBA/C.G./619, dated 05-09-2011 appoints Mrs. Channi Verma as Chairperson of the State Social Welfare Advisory Board Chhattisgarh for three years with effect from the date of issuance of this order.

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ 1-8/2011/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली की सहमति से राज्य समाज कल्याण बोर्ड, छत्तीसगढ़, रायपुर के अध्यक्ष पद पर श्रीमती चन्नी वर्मा, रायपुर की नियुक्ति विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-10-2011 जारी होने के दिनांक से 3 (तीन) वर्ष तक के लिए की गई है. राज्य समाज कल्याण बोर्ड के नियम तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में

लाते हुए तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के पत्र फा. सं. 1-32/2002/पुनर्गठन/रा.बो.प्र./छत्ती./619, दिनांक 05-09-2011 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर राज्य शासन द्वारा राज्य समाज कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के लिये निम्नलिखित सदस्यों को नामांकित करता है :—

क्र. (1)	सदस्यों का नाम (2)	पद (3)
1.	श्रीमती अनिता सोनी, कांकेर	सदस्य
2.	श्रीमती किरण अग्रवाल, महासमुन्द	सदस्य
3.	श्रीमती खिलेश्वरी किरण, धमतरी	सदस्य
4.	श्रीमती माया चन्द्राकर, खेरथा-दुर्ग	सदस्य
5.	श्रीमती शशि ठाकुर, रायपुर	सदस्य
6.	सुश्री समीरा पैंकरा, मरवाही-बिलासपुर	सदस्य
7.	श्रीमती संगीता बंछोर, कसारी रोड, दुर्ग	सदस्य
8.	श्रीमती स्वाती शर्मा, रायपुर	सदस्य
9.	श्रीमती जानकी धुर्वा, आवापल्ली, दंतेवाड़ा	सदस्य

2. नामांकित सदस्यों का कार्यकाल, अध्यक्ष के कार्यकाल के अनुरूप होगा.

No./F-1-8/2011/WCD/50.—The State Government with the consent of Central Social Welfare Board, New Delhi has appointed Mrs. Channi Verma as Chairperson of the State Social Welfare Advisory Board Chhattisgarh Raipur vide its notification of even number dated 22-10-2011 for three years from the date of notification. In exercise of the powers conferred by rule-3 of the State Social Welfare Advisory Board and the consent of the Central Social Welfare Board vide their letter No. 1-32/2002/reconstitution/SBA/C.G./619, dated 05-09-2011, the State Government nominates the following members for the State Social Welfare Advisory Board Chhattisgarh.

S. No. (1)	Members Name (2)	Designation (3)
1.	Mrs. Anita Soni, Kanker	Member
2.	Mrs. Kiran Agrawal, Mahasamund	Member
3.	Mrs. Khileswari Kiran, Dhamtari	Member
4.	Mrs. Maya Chandrakar, Khertha, Durg	Member
5.	Mrs. Shashi Thakur, Raipur	Member
6.	Ms. Samira Paikra, Marwahi, Bilaspur	Member
7.	Mrs. Sangeeta Banchhor, Kasari Road, Durg	Member
8.	Mrs. Swati Sharma, Raipur	Member
9.	Mrs. Janki Dhurwa, Aawapalli, Dantewada	Member

2. The term of office of the members will be in conformity with that of the Chairperson of the Board.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2012

क्रमांक-एफ 7-03/2006/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-2021/2376/32/06 रायपुर दिनांक 10-11-2006 द्वारा गठित अभनपुर निवेश क्षेत्र में नीचे अनुसूची-एक में दिए गए ग्राम "झाँकी" को अपवर्जित करती है, पुनर्गठित अभनपुर निवेश क्षेत्र की सीमा नीचे अनुसूची दो में परिभाषित है :—

अनुसूची-एक

अभनपुर निवेश क्षेत्र से अपवर्जित क्षेत्र — छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-64 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत गठित नया रायपुर क्षेत्र के ग्राम-"झाँकी"

अनुसूची-दो

पुनर्गठित अभनपुर निवेश क्षेत्र की सीमा :—

उत्तर में : ग्राम-बिरोदा, बकतरा, उरला एवं गिरहोला ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम-गिरहोला, बेलभाठा, खोला एवं ठेलकाबांधा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम-ठेलकाबांधा, गातापारा, टोकरो एवं सातपारा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम-सातपारा, गोतियारडीह, आमनेर, अभनपुर तथा बिरोदा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

No. F-7-03/2006/32.—In exercise of the power conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 13 of the Chhattisgarh Nagar That Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government hereby excludes the area as given in Schedule-I below in Planning Area constituted by the Notification Abhanupur Planning Area is Dated 10-11-2006. The limit of reconstituted Abhanpur Planning Area is defined in Schedule-II given below :—

SCHEDULE-I

Area excluded from Abhanpur Planning Area— Village Jhahki of Naya Raipur Area constituted under sub-section (1) and (2) of Section 64 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973).

SCHEDULE-II

Reconstituted Abhanpur Planning Area limit—

NORTH : Village-Biroda, Baktara, Urla and upto the Northern limit of Village Girhola.

EAST : Village-Girhola, Belbhatha, Khola and upto the Eastern limit of Village Thelkabhandha.

SOUTH : Village-Thelkabhanda, Gatapara, Tokro and upto the Southern limit of Village Satpara.

WEST : Village-Satpara, Gotiyardih, Amner, Abhanpur and upto the Western limit of Village Biroda.

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2012

क्रमांक-एफ 7-17/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए करतला, निवेश क्षेत्र, जिला कोरबा का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

करतला, निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बताती, परसखेत, मदनपुर, धौराभाठा, चचिया, कटकोना एवं बरपाली ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम बरपाली, जिल्गा, तौलीपाली, कुदमुरा, कलगामार एवं चोरभट्टी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम चोरभट्टी, टिमनभौना, करतला, कोटमेर, श्रीमार, बोड़ाझाप, डोंगाआमा एवं ढोंगदरहा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम ढोंगदरहा, नोनबीरा, सकदूकला, कोटमेर एवं बताती ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2012

क्रमांक-एफ 7-18/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पाली, निवेश क्षेत्र, जिला कोरबा का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

पाली, निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम पोंड़ी, सैला मादन, पाली धौराभाठा एवं नुनेरा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम नुनेरा एवं नुनेरा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम नुनेरा, करतली, तेन्दूभाठा, मुनगाडीह, तालपार एवं ठुकूपथरा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम ठुकूपथरा एवं पोंडी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2012

क्रमांक-एफ 7-19/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पोड़ी-उपरोड़ा, निवेश क्षेत्र, जिला कोरबा का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

पोड़ी-उपरोड़ा, निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम गुरसिया, लेपरा, बांगो एवं एतमा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम एतमा, नवापारा, पोंडी, उपरोड़ा, गाड़ाघाट एवं पाथा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम पाथा, कोड़ा, गुडरूमुंडा, तानाखार एवं बरपाली ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम बरपाली, दादर, मंगलपहाड़, कोनकोना एवं गुरसिया ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2012

क्रमांक-एफ 7-20/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए दरबा, निवेश क्षेत्र, जिला धमतरी का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

दरबा, निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम करगा, भरदा एवं खुरसेंगा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम खुरसेंगा, मुरा, जामगांव, मुल्ले अंवरी, सोनपुर, नवागांव, मरौद एवं बंजारी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम बंजारी, अटंग एवं सिवनीकला ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम सिवनीकला, गातापार, सिर्री, ढेठा, कोटगांव एवं करगा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2012

क्रमांक-एफ 7-21/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आमदी, निवेश क्षेत्र, जिला धमतरी का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

आमदी, निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मड़ईभाठा, मोखा एवं अमलीडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम अमलीडीह, बागतराई, कुर्रा, रांवा, आमदी, परसतराई एवं खरतुली ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम खरतुली, लोहरसी, पोटियाडीह एवं भानपुरी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम भानपुरी, तरसींवा, रावां, कुर्रा, बागतराई एवं मड़ईभाठा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2012

क्रमांक-एफ 7-22/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेशं अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए छुरी, निवेश क्षेत्र, जिला कोरबा का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

छुरी, निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम केनाडांड, दर्राभाठा, गांगपुर एवं छुरीखुर्द ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम छुरीखुर्द, धनरास एवं बनचर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम बनचर, जटांगपुर, कसरेंगा एवं छुरीकला ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम छुरीकला, सलोरा, बिसनपुर एवं केनाडांड ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस बजाज, विशेष सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2012

फा. क्र. 3409/1222/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री उमेश कुमार उपाध्याय, आत्मज-स्व. श्री रमेश कुमार उपाध्याय, (श्रेणी-अनारक्षित, मेरिट क्र.-15) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1) (ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2012

फा. क्र. 3411/853/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री गीतेश कुमार कौशिक, आत्मज श्री गोविन्द प्रसाद कौशिक, (श्रेणी-अन्य पिछड़ा वर्ग, मेरिट क्र.-25) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1) (ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2012

फा. क्र. 3413/953/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्रीमती सीमा चन्द्राकर, पति डॉ. चौलेश्वर चन्द्राकर, (श्रेणी-अन्य पिछड़ा वर्ग, मेरिट क्र.-26) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1) (ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2012

फा. क्र. 3415/1775/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, कु. प्रियंका टेंभुरकर, पिता श्री पुरननाथ टेंभुरकर (श्रेणी-अनुसूचित जाति, मेरिट क्र.-18) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1) (ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2012

फा. क्र. 3417/916/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, कु. श्वेता श्रीवास्तव, आत्मज श्री केशव नारायण श्रीवास्तव, (श्रेणी-अनारक्षित, मेरिट क्र.-11) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1) (ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2012

संशोधन आदेश

क्र. 3455/1096/21-ब/छ.ग./2012.—श्री देवेन्द्र साहू आत्मज श्री राधेश्याम साहू, को व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्ति के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2842/1096/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 07-04-2012 के पृष्ठांकन के बिन्दु क्रमांक 1 में गृह जिला "बिलासपुर" के स्थान पर "बेमेतरा" पढ़ा जावे.

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2012

संशोधन आदेश

क्र. 3457/853/21-ब/छ.ग./2012.—श्री गीतेश कुमार कौशिक पिता श्री गोविन्द्र प्रसाद कौशिक, को व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्ति के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3411/853/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 23-04-2012 के पंक्ति 4 में मेरिट क्रमांक-25 के स्थान पर "16" पढ़ा जावे.

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2012

संशोधन आदेश

क्र. 3459/953/21-ब/छ.ग./2012.—श्रीमती सीमा चन्द्राकर पति डॉ. चौलेश्वर चन्द्राकर, को व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्ति के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3413/953/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 23-04-2012 के पंक्ति 4 में मेरिट क्रमांक-26 के स्थान पर "17" पढ़ा जावे.

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2012

संशोधन आदेश

क्र. 3461/1775/21-ब/छ.ग./2012.—कु. प्रियंका टेंभुरकर पिता श्री पुरननाथ टेंभुरकर, को व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्ति के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3415/1775/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 23-04-2012 के पंक्ति 4 में मेरिट क्रमांक-18 के स्थान पर "26" पढ़ा जावे.

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2012

क्र. 3472/1268/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी सभी आदेशों को अतिष्ठित करते हुए महाधिवक्ता कार्यालय से भिन्न न्यायालयों/अधिकरणों में नियुक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, पैनल लायर्स के लिए दिनांक 25-04-2012 से पारिश्रमिक का निम्न दर निश्चित करता है :—

	पद का नाम		पुनरीक्षित फीस दर
(अ)	शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक	(क)	500/- (रु. पांच सौ) प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिए.
		(ख)	रु. 1000/- (रु. एक हजार) प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिए अधिकतम रु. 22,000/- (रु. बाईस हजार) प्रतिमाह.
(ब)	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक.	(क)	500/- (रु. पांच सौ) प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिए.
		(ख)	रु. 1000/- (रु. एक हजार) प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिए, अधिकतम रु. 20,000/- (रु. बीस हजार) प्रतिमाह.
(स)	शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक का रिटेनर फीस.		रु. 4,000/- (रु. चार हजार) प्रतिमाह.

(2) पैनल लायर्स जो शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं :—

	प्रकरणों का प्रकार		पुनरीक्षित फीस दर
(अ)	आपराधिक प्रकरणों में—सत्र प्रकरणों/फौजदारी अपील/पुनरीक्षण (सत्र न्यायालयों में)	(क)	400/- (रु. चार सौ) प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिए.
		(ख)	रु. 800/- (रु. आठ सौ) प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिए.
(ब)	सत्र न्यायालयों में अंकिचन अभियुक्तों का पक्ष समर्थन हेतु शुल्क.		रु. 800/- (रु. आठ सौ) प्रति प्रभावी तिथि अधिकतम रु. 4000/- (रु. चार हजार) प्रति प्रकरण अंतिम निर्णय होने पर.

निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रकरणों में न्यायालयीन कार्यवाही न होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की फीस का भुगतान देय नहीं होगा :—

(1) नियत तिथि को अचानक न्यायालयीन कार्यवाही स्थगित होने पर,

(2) किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी कारण से प्रकरणों की तिथि स्थगित किये जाने हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर,

(3) अभियुक्त/गवाह के अनुपस्थिति होने के कारण.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-न्याय प्रशासन-2014-न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता-3572/मुफस्सिल स्थापना-010-व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए अदायगियां-006-अभिभाषकों के शुल्क के अंतर्गत विकलनीय होगा.

यह सहमति वित्त विभाग के यू.ओ. क्र. 167/00001936 वित्त विभाग/ब-3/2012 दिनांक 23-04-2012 द्वारा प्रदान की गयी है.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2012

फा. क्र. 3537/1126/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, कु. श्वेता आत्मज श्री विपिन कुमार उपाध्याय (श्रेणी-अनारक्षित, मेरिट क्र.-13) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1) (ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2012

फा. क्र. 3538/1271/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री विवेक गर्ग, आत्मज श्री बनवारी लाल गर्ग, (श्रेणी-अनारक्षित, मेरिट क्र.-04) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1) (ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्रमांक/3380/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 1(1)/2012-E-II (B) दिनांक 03-04-2012 के अनुसार, छ.ग. राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में केन्द्र के समान वृद्धि करते हुए, दिनांक 01-01-2012 से 58 प्रतिशत के स्थान पर 65 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करता है.

इस संबंध में वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 161/00001532/वित्त विभाग/ब-3/2012, दिनांक 18-04-2012 के द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2012

क्रमांक/3511/21-ब/छ.ग./2012.—श्री विशोक खरे को विभागीय आदेश क्रमांक-2331/912/21-ब/छ.ग./2008 दिनांक 14 मार्च 2008 के द्वारा एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक-मनेन्द्रगढ़ के लिए नियुक्त किया गया था, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है तथा नई नियुक्ति हेतु पैनल आहुत किया गया है.

यथा निर्देशानुसार यह सूचित किया जाता है कि जब तक उक्त पद पर नई नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक आप विधि विभाग नियमावली के नियम 18 के प्रावधानों के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया, में अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक का कार्य करते रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 मई 2012

क्रमांक एफ 1-9/2008/13-1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 (iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री सी. पी. पांडे, संचालक, परियोजना, छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित जिनकी मूल पदस्थापना विद्युत उत्पादन कंपनी में कार्यपालक निदेशक के पद पर है. चूंकि श्री पांडे की अर्धवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर दिनांक 30-04-2012 को उक्त पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं अत: राज्य शासन उन्हें संचालक परियोजना के पद से कार्यमुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2012

क्रमांक/एफ 10-4/2012/25-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के सरल क्रमांक 01 पर अंकित जातियों अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव) बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी (ग्वारी) गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल (राउत) महकुल, गोप, ग्वाली, लिंगायत के बाद "यादव, राऊत एवं ग्वाला" जातियों को सम्मिलित करता है, विवरण एवं कैफियत निम्नानुसार है :—

स. क्र.	जाति का नाम	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	यादव	पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय करने वाली जाति	इसमें यादव राजपूत शामिल नहीं है.
2.	राऊत	पशुपालन, दुग्ध विक्रय एवं गाय, बैल, भैंस आदि पशु चराना.	इसमें ब्राम्हण राऊत एवं राजपूत राऊत शामिल नहीं है.
3.	ग्वाला	—,,—	—,,—

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

जनसम्पर्क विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मई 2012

क्रमांक एफ 04-05/2012/समन्वय/चौबीस.—राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य में कार्यरत संचार प्रतिनिधियों के लिए छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, 2012 लागू की जाती है. योजना के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार होंगे :—

1. यह योजना राज्य शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचित दिनांक से प्रभावशील होगी.

2. संचार प्रतिनिधि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा रुपये पांच लाख का होगा. इस योजना में ऐसे सभी संचार प्रतिनिधियों को जिनकी आयु 21 से 70 वर्ष के मध्य हो एवं जो समाचार संकलन/सम्पादन से जुड़े हों तथा सम्बन्धित मीडिया संस्था के Pay Roll में हों को शामिल किया जायेगा. प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के मालिक/प्रबंधन से जुड़े लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

3. छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना उन सभी संचार प्रतिनिधियों पर लागू होगी जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और जिनका कार्यक्षेत्र छत्तीसगढ़ है. संचार प्रतिनिधि का निवास बीमा के आवेदन पत्र में उल्लेखित कार्यस्थल/पदस्थापना के स्थान पर होना आवश्यक है.

4. दुर्घटना बीमा की अवधि एक वर्ष होगी. बीमा राशि, बीमित संचार प्रतिनिधि की दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता की स्थिति में देय होगी. संचार प्रतिनिधि को बीमा अवधि पूर्ण होने के पूर्व नये वर्ष के लिये बीमा कराने के लिये पुन: समस्त वांछनीय कार्यवाही पूर्ण करनी होगी.

5. संचार प्रतिनिधि द्वारा अंशदान की राशि जमा करने का अर्थ बीमा होना नहीं होगा, विभाग द्वारा पूर्ण कार्यवाही करने के बाद बीमा कम्पनी द्वारा बीमा होने के संबंध में जारी अनुबंध के दिनांक से बीमा लागू होना माना जायेगा. बीमित संचार प्रतिनिधि को बीमा कम्पनी से क्लेम प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र में नामांकित (नॉमिनी) घोषित करना होगा.

6. संचार प्रतिनिधियों का दुर्घटना बीमा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी या बीमा क्षेत्र में ख्याति प्राप्त निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी जो न्यूनतम प्रीमियम पर बीमा ऑफर करेगी, से कराया जायेगा. प्रत्येक वर्ष बीमा कंपनी द्वारा रुपये पांच लाख के दुर्घटना बीमा के लिए निर्धारित वार्षिक प्रीमियम की पच्चीस प्रतिशत राशि का अंशदान सम्बन्धित बीमित संचार प्रतिनिधि को करना होगा.

7. दुर्घटना होने की अधिकतम सात दिवस के भीतर बीमा करने वाली कम्पनी के जिला कार्यालय को सूचित करना आवश्यक होगा. बीमा धारक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके द्वारा नामांकित सदस्य (नॉमिनी) अथवा स्थायी अपंगता/अशक्तता होने पर स्वयं बीमा धारक को दावा के लिये निर्धारित प्रपत्र में सूचना, पुलिस में दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मेडिकल बोर्ड का प्रमाण-पत्र जैसी भी स्थिति हो, मृत्यु प्रमाण पत्र और नामांकित सदस्य का प्रमाण बीमा करने वाली कम्पनी के कार्यालय को बीमा पॉलिसी में निर्दिष्ट समयावधि में जमा कराने होंगे.

8. उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार नियम बनायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सूरजपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2012

रा.प्र.क्र. 5/अ-82 /2011-2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (आरे में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	भैयाथान	तेलगांव	0.08 आरे	मुख्य महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. भटगांव.	रेल्वे साईडिंग हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारती दासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/62.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	बलौदा	जर्वे प.ह.नं. 38	0.133	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव बॅराज जल प्रबंध संभाग, रामपुर/कोरबा.	सिंचाई कालोनी जर्वे पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 मई 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1350.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	डिघोरा प.ह.नं. 03	0.916	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	भरारी व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 14 मई 2012

रा.प्रकरण क्र. 06 अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	कोंदवागोडान प. ह. नं. 08	12.654	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा, जिला कबीरधाम.	कोदवा किलकिला व्यपवर्तन योजना के नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 9 मई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	घरजियाबथान प. ह. नं. 18	1.779	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	घरजियाबथान जलाशय के डूबान क्षेत्र का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 9 मई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	लोकेर प. ह. नं. 24	5.794	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	लोकेर जलाशय योजना की आर.बी.सी. मुख्य नहर का भू-अर्जन, प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 9 मई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/03/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	बालाझार प. ह. नं. 15	0.180	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	बालाझार जलाशय योजना के मुख्य नहर का पूरक भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनन्द, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2012

क्रमांक 15/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	चौहा प. ह. नं. 39	2.64	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	चौहा जलाशय योजना के डुबान, बांधपार, आर.बी.सी. निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2012

क्रमांक 16/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	भरारी प. ह. नं. 49	5.80	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	भरारी व्यपवर्तन योजना, शीर्ष कार्य एवं मुख्य नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2012

क्रमांक 17/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	दलदली प. ह. नं. 39	4.45	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	दलदली व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 8 मई 2012

क्रमांक/4445/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	तिलईरवार प. ह. नं. 10/9	2.61	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	तिलईरवार जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 मई 2012

क्रमांक/4645/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	दतरेंगांटोला प. ह. नं. 24	0.496	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरियानाला बैराज के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 मई 2012

क्रमांक/4648/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	डिलापहरी प. ह. नं. 21	0.33	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	डिलापहरी सिंगपुर एनीकट के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 मई 2012

क्रमांक/4649/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	सिंगपुर प. ह. नं. 20	0.66	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	डिलापहरी सिंगपुर एनीकट के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 2 मार्च 2012

क्रमांक क/भू-अर्जन/07/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	नियानार प.ह.नं. 14	14.23	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर बस्तर संभाग, क्रमांक-1, जगदलपुर.	जगदलपुर बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक-1, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 2 मार्च 2012

क्रमांक क/भू-अर्जन/07/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	आड़ावाल प.ह.नं. 09	0.09	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर बस्तर संभाग, क्रमांक-1, जगदलपुर.	जगदलपुर बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक-1, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 2 मार्च 2012

क्रमांक क/भू-अर्जन/07/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	तुसेल प.ह.नं. 13	0.52	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर बस्तर संभाग, क्रमांक-1, जगदलपुर.	जगदलपुर बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक-1, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 2 मार्च 2012

क्रमांक क/भू-अर्जन/08/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बिलोरी प.ह.नं. 09	10.90	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर बस्तर संभाग, क्रमांक-1, जगदलपुर.	जगदलपुर बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक-1, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 2 मार्च 2012

क्रमांक क/भू-अर्जन/09/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कुसुमपाल प.ह.नं. 09	0.17	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर बस्तर संभाग, क्रमांक-1, जगदलपुर.	जगदलपुर बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक-1, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 2 मार्च 2012

क्रमांक क/भू-अर्जन/10/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कोरपाल प.ह.नं. 13	9.47	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर बस्तर संभाग, क्रमांक-1, जगदलपुर.	जगदलपुर बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक-1, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2012

क्रमांक/Q/भू.अ./अ.वि.अ./08 अ./82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-आरंग
(ग) नगर/ग्राम-बरौदा, प. ह. नं. 72/15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.17 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1633	0.17
योग	01	0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर योजनांतर्गत रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 मई 2012

क्रमांक 109/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 55/अ.-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-अभनपुर
(ग) नगर/ग्राम-उपरवारा, प. ह. नं. 137/16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.74 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	4	0.22
	87	0.29
	110	0.16
	124	0.18
	127	0.20
	144	1.06
	148	0.15
	1546	0.16
	1596	0.15
	1565/2	0.17
योग	10	2.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर में नालेज पार्क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
(ख) तहसील-मस्तूरी
(ग) नगर/ग्राम-टिकारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-39.68 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
90	0.19
93/1	0.15
94	0.68
95	0.22
122/1	0.85
126/3	0.65
96/1	0.22
122/3	0.40
126/1	0.65
96/2	0.11
122/4	0.41
126/2	0.33
93/3	0.11
122/2	0.41
97	0.17
98	0.75
99	0.40
100/1	0.33
100/2	0.32
101	0.34
128	0.57
102	0.70
130	0.42
144/1	0.30
103/1	0.42
103/2	0.58
104	0.49
105/1	0.40
105/2	0.40
106/1	0.73
106/2	0.74
108	0.20
109	0.26
110	0.46
148/8	0.50
148/5	0.46
111	0.35
112/1	0.08
112/2	0.23
112/3	0.08
112/4	0.08
113/1	0.21
113/2	0.21
114/1	1.21
124/1	1.00
114/2	0.40
121	0.44
115/1	0.36
115/2	0.36
115/3	0.27
116	0.67
123	1.73
117	1.21
118	0.28
119/1	0.26
119/2	0.26
120/1	0.50
120/2	0.69
124/2	0.45
127/1	1.41
127/2	2.80
129	0.32
131	0.24
146	0.86
147	1.08
148/1	0.88
148/2	1.10
148/3	0.70
148/6	0.46
149	0.72
150	0.29
151	0.42
153/10	0.19
157/7	0.00
153/9	0.06
153/16	0.02
153/11	0.10
153/15	0.14
145	0.14
133	0.24
135	0.11
136	0.06
137	0.17

(1)	(2)
138	0.15
134/1	0.12
143	0.15
142	0.10
योग	39.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चौहा जलाशय के डूबान, बांधपार एवं वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक क/अ-82/2011-2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बिरहाभांठा, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.692 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
320/2	0.008
321	0.024
322/1	0.085
322/2	0.105
323	0.036
324/2	0.081
272/1	0.024
272/2	0.041
273/1	0.020
270/2	0.041
267/1	0.057
268/1	0.049
264/1	0.121
योग 13	0.692

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की मुख्य नहर से अमलीपाली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 अप्रैल 2012

क्रमांक 354.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कटौद, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.596 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
36	0.004
37/1	0.012

(1)	(2)
37/2	0.020
47/1	0.036
48	0.048
75/2	0.065
77	0.004
124/1	0.008
156	0.012
173/1	0.012
230/2	0.008
393/2	0.057
945/1	0.020
1006/2	0.057
1163/1	0.020
1208, 1306/2	0.052
1300/1	0.020
1300/2	0.109
1300/5	0.032
योग 19	0.596

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कांसा माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-जकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-40.933 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
471/1	0.248
420/7	0.487
477/2	0.170
477/4	0.097
469	0.109
408/1	0.142
409/2	0.203
567/2	0.506
391/1	0.122
472/1	0.093
420/4	0.114
420/11	0.098
391	0.121
480/2	0.178
569	0.470
402/1	0.251
406	0.384
429/1	0.333
408/4	0.125
441/1	0.324
474/2	0.198
443/3	0.202
477/4	0.096
402/3	0.251
410	0.450
567/1	0.210
391/2	0.243
441/2	0.202
393/1ख	0.263
420/6	0.210
481/1	0.051
441/3	0.198
409/1	0.194
412/2	0.101
412/4	0.203
393/1क	0.360
404	0.478

(1)	(2)
408/8	0.125
420/3	0.888
474/3	0.125
470/1	0.089
475	0.409
430	0.186
411	0.040
566/1	0.081
573/3	0.203
468	0.109
393/1घ	0.466
420/8	0.053
431	0.761
571/2	0.339
409/3	0.243
413/3	0.101
408/3	0.125
393/1ग	0.081
414/2	0.287
408/5	0.004
420/5	0.138
477/1	0.474
477/3	0.158
416	2.648
397	1.598
573/2	0.202
566/2	0.534
556	0.162
425	0.182
420/2	0.222
420/10	0.202
408/3	0.125
424	0.093
558	0.615
403/1	0.679
414/1	0.288
420/1	0.021
408/2	0.109
410/5	0.018
410/8	0.018
467/1	0.279
399/1	0.142
480/1	0.535
419	0.429
565	0.335
474/1	0.381
428	0.040
573/1	1.330
563	0.579
477/4	0.097
560	0.105
478	0.530
570	0.587
414/1	0.288
568	0.376
400	0.579
470/2	0.093
563	1.686
564	0.405
554	0.360
390/2	0.279
559	0.510
412/1	0.485
572	0.393
406	0.384
423	0.489
481/2	0.061
390/1	0.628
408/6	0.125
396	0.624
394/1	0.243
566/1	0.021
415/1	0.809
562	0.178
422	0.947
426	0.426
472/2	0.068
403/3	0.243
401	0.729
योग 116	40.933

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अटल विहार योजना प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-औरदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.035 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	89/2	0.073
	98/2	0.113
	784/3	0.105
	98/4	0.073
	100	1.441
	80/1	0.032
	82	0.049
	89/1	0.614
	88	0.073
	92/1क	0.506
	92/1ख	0.405
	98/1	0.405
	81/1	0.020
	94	0.369
	81/2	0.069
	83	0.089
	90/2	0.430
	90/1	0.323
	92/4	0.202
	784/1	0.206
	784/2	0.105
	98/2क	0.137
	93	0.369
	96	0.291
	80/2	0.063
	84	0.053
	86	0.228
	92/2	0.352
	92/3	0.052
	783/1	0.186
	783/2	0.020
	98/3	0.113
	95	0.125
	99	0.057
	81/3	0.117
	85	0.085
	87	0.085
योग	37	8.035

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अटल विहार योजना प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-कोड़ातराई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.189 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1334/3	0.004

(1)	(2)
1336/1	0.032
1326/10	0.356
1336/4	0.283
1326	0.231
1327/6	0.117
1334/1	0.259
1335/1	0.264
1329/4	0.024
1279/3	0.040
1323/1	0.178
1324/1	
1241	0.485
1322/7	0.469
1271/1	0.147
1329/3	0.121
1335/2	0.190
1322/9	0.372
1244/2	0.219
1343	1.062
1336/2	0.093
1327/4क	0.219
1337	0.045
1331/1	0.255
1327/8	0.121
1244/1ख	0.178
1336/2	0.056
1329/5	0.202
1338	0.162
1328/1	0.567
1328/2	0.566
1322/8क	0.117
1325/2	0.393
1325/1	0.676
1322/1	0.175
1329/6	0.056
1331/6	0.020
1322/4	0.510
1323/2, 1324/2	0.456
1340/3क	0.393
1340/1	0.405
1327/5	0.158
1340/3ख	0.202
1339/8	0.069
1244/1ग	0.020
1244/1क	0.195
1329/1	0.178
1323/2ख, 1324/2ख	0.075
1339	0.247
1247	0.575
1322/5	0.297
1331	0.328
1322/2	0.372
1331/4	0.150
1245	0.849
1322/3	0.190
1242/2	0.101
1243	0.870
1326/4ख	0.417
1327/9	0.040
1242/1	0.069
1327/1	0.158
1333/1	0.077
1334/2	0.154
1327/3	0.040
1279/1क	0.243
1323/2ग, 1324/2ग	0.076
1278/3	0.243
1322/6	0.247
1325/3	0.283
1329/2	0.032
1331/5	0.042
1246/2	0.350
1322/8	0.178
1330	0.146
योग 74	18.189

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अटल विहार योजना प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ एवं अध्यक्ष, बायलर अटेन्डेन्ट्स परीक्षक मंडल

जी. ई. रोड, आमापारा, पो.-विवेकानंद आश्रम, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्रमांक मुनिवा/ए-13/975/2012.—बायलर परिचर नियम-2011 के प्रावधानों के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी बायलर परिचर (अटेन्डेन्ट) की प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु रायपुर में दिनांक 09 जनवरी 2012 से 11 जनवरी 2012 को परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित आवेदकों की सूची निम्नानुसार है :—

सरल क्रमांक	रोल नम्बर	आवेदक का नाम	पिता का नाम	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1	श्री प्रफुल्ल कुमार साहू	श्री भूषण लाल साहू	जांजगीर/चांपा
2.	2	श्री सरोज कुमार श्रीवास	श्री तातू राम श्रीवास	चांपा
3.	3	श्री भूपेन्द्र कुमार सिन्हा	श्री चिरंजीव लाल सिन्हा	दुर्ग
4.	4	श्री सतीश गौतम	श्री नंदकुमार गौतम	दुर्ग
5.	5	श्री सुरेश कांबले	श्री अशोक कांबले	महासमुन्द
6.	8	श्री कृपा शंकर पाण्डेय	श्री सुभाष पाण्डेय	दुर्ग
7.	9	श्री सौरभ रावत	श्री रामकृष्ण रावत	दुर्ग
8.	10	श्री दीन दयाल यादव	श्री उमा शंकर यादव	दुर्ग
9.	14	श्री दीपक कुमार यादव	श्री रामानंद यादव	दुर्ग
10.	15	श्री महेन्द्र कुमार देशमुख	श्री रामसुख देशमुख	दुर्ग
11.	19	श्री कमलनारायण चन्द्राकर	श्री रामाधार चन्द्राकर	महासमुन्द
12.	20	श्री बिरजुन चौधरी	श्री दयाराम चौधरी	जांजगीर/चांपा
13.	21	श्री खेमू राम	श्री कृपाराम देवांगन	दुर्ग
14.	22	श्री अमित कुमार गुप्ता	श्री विनय कुमार गुप्ता	जांजगीर/चांपा
15.	23	श्री जयेन्द्र कुमार कुर्रे	श्री अनिरूद्ध कुमार कुर्रे	चांपा
16.	24	श्री हीरालाल सिंह	श्री भगवान सिंह	दुर्ग
17.	25	श्री टिनू भावनानी	श्री जगदीश भावनानी	चांपा
18.	26	श्री मुपन्ना सुरेश	श्री मालीवाबू	महासमुन्द
19.	27	श्री मृत्युंजय नायक	श्री कन्हेई चरण नायक	महासमुन्द
20.	28	श्री रामेशर दिनकरजी राहांगडाले	श्री दिनकरजी हरिदयाल राहांगडाले	महासमुन्द
21.	29	श्री कुबेर साहू	श्री लालो साहू	सराईपाली
22.	30	श्री अमरदीप कुमार राय	श्री उमाशंकर राय	दुर्ग
23.	31	श्री छतराम साहू	श्री भकोलीराम साहू	अकलतरा
24.	32	श्री चन्द्रशेखर साहू	श्री खुमान सिंह	दुर्ग
25.	35	श्री अमित कुमार देवांगन	श्री ललित कुमार देवांगन	दुर्ग
26.	36	श्री प्रवीण पाण्डेय	श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय	जांजगीर/चांपा
27.	37	श्री कृष्ण कुमार जायसवाल	श्री सिया राम जायसवाल	चांपा
28.	42	श्री किरण बाबूराव ताले	श्री बाबूराव भृद्दई ताले	दुर्ग
29.	45	श्री शैलेन्द्र सिंह तोमर	श्री हरी सिंह तोमर	जांजगीर/चांपा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.	47	श्री दिनेश कुमार साहू	श्री बिसौहा राम साहू	चांपा
31.	50	श्री संतोष कुमार कैवर्त	श्री घुरेलाल कैवर्त	चांपा
32.	53	श्री हरिशंकर पटेल	श्री रामलाल पटेल	जांजगीर/चांपा
33.	55	श्री संतोष महापात्र	श्री जगन्नाथ महापात्र	दुर्ग
34.	57	श्री चंद्रमा कुमार मरार	श्री अजीत राम मरार	चांपा
35.	59	श्री सुजीत कुमार सामल	श्री गिरीशचन्द्र सामल	चांपा
36.	62	श्री राजेश कुमार वर्मा	श्री श्याम लाल वर्मा	महासमुन्द
37.	64	श्री खुबीराम वर्मा	श्री सुखीराम वर्मा	दुर्ग
38.	65	श्री गोविन्द्र राम वर्मा	स्व. श्री धनसिंग वर्मा	दुर्ग
39.	67	श्री द्रोण कुमार साहू	श्री पुनीत राम साहू	महासमुन्द
40.	68	श्री गोपाल यादव	श्री छन्नु लाल यादव	दुर्ग
41.	69	श्री हरिओम यादव	श्री दशरथ यादव	नैला
42.	70	श्री घनश्याम साहू	श्री अवध राम साहू	महासमुन्द
43.	73	श्री चंद्रशेखर सोनी	श्री देवनारायण सोनी	दुर्ग
44.	74	श्री विनय कुमार मिश्रा	श्री कौशल प्रसाद मिश्रा	चांपा
45.	75	श्री योगेन्द्र निलाराम बिसेन	श्री निलाराम भैयाराम बिसेन	दुर्ग
46.	76	श्री यशवंत लाल लिल्हारे	श्री दयाराम लिल्हारे	दुर्ग
47.	77	श्री सुरेश प्रसाद देशमुख	श्री सेवकराम देशमुख	दुर्ग
48.	78	श्री गंगाधर साहू	श्री गोपाल दास	दुर्ग
49.	79	श्री आर. वेकटाराव	श्री आर. बांसकर राव	दुर्ग
50.	80	श्री संतोष कुमार डनसेना	श्री ललित कुमार डनसेना	जांजगीर/चांपा
51.	81	श्री भुवनेश्वर प्रसाद कर्ष	श्री झाडू राम कर्ष	चांपा
52.	82	श्री नीलम महिपाल	श्री राधेश्याम महिपाल	दुर्ग
53.	83	श्री भीषम लाल देशमुख	श्री तुलसी राम देशमुख	दुर्ग
54.	84	श्री ईश्वरी लाल साहू	श्री चम्पा लाल साहू	भिलाई
55.	85	श्री हिन्साराम	स्व. श्री सरजूराम साहू	भिलाई
56.	86	श्री महेन्द्र दास बैरागी	श्री झुमूक दास	सराईपाली
57.	87	श्री मुकुन्द नारायण सोनी	श्री राजा राम सोनी	जांजगीर/चांपा
58.	90	श्री संजय कुमार जायसवाल	स्व. श्री भागीरथी जायसवाल	जांजगीर/चांपा
59.	94	श्री राजकुमार साहू	श्री जोइधा राम साहू	दुर्ग
60.	95	श्री तेजराम साहू	श्री किसुन लाल साहू	दुर्ग
61.	96	श्री ओम प्रकाश साहू	श्री होरी लाल साहू	दुर्ग
62.	98	श्री नंदलाल	श्री सॉवली राम	दुर्ग
63.	100	श्री डोमेन्द्र कुमार	श्री गिरधारी लाल	दुर्ग
64.	101	श्री रविन्द्र खोब्रागड़े	श्री शंकर खोब्रागड़े	दुर्ग
65.	103	श्री प्रमोद कुमार यादव	श्री पंचराम यादव	नैला
66.	109	श्री अशोक चौधरी	स्व. श्री गंगा दयाल चौधरी	जांजगीर/चांपा
67.	110	श्री जोहित कुमार केंवट	श्री निखाद केंवट	जांजगीर/चांपा
68.	111	श्री अमित कुमार सोनी	श्री अशोक कुमार सोनी	जांजगीर/चांपा
69.	112	श्री संतोष लोखंडे	श्री दिनु लोखंडे	दुर्ग
70.	113	श्री रविकांत साहू	श्री सोनसिंह साहू	दुर्ग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
71.	114	श्री कमलेश कुमार देशमुख	श्री उमेंद सिंह देशमुख	दुर्ग
72.	115	श्री सुभाष कुमार साहू	श्री हुमलाल साहू	दुर्ग
73.	116	श्री यवनेश कुमार साहू	श्री दरबारी राम साहू	दुर्ग
74.	118	श्री स्वरूप सिंह क्षत्री	श्री स्व. श्री इंदल सिंह क्षत्री	अकलतरा
75.	121	श्री चमरुराम साहू	श्री गजपती राम साहू	अकलतरा
76.	123	श्री मनोज कुमार साहू	श्री विद्वान सिंह साहू	दुर्ग
77.	124	श्री शैलेन्द्र सिंह कैवर्त	श्री श्याम सिंह कैवर्त	कोरबा
78.	125	श्री घनश्याम प्रसाद अगस्ति	श्री राजा राम अगस्ति	कोरबा
79.	127	श्री बृजभूषण मौर्य	स्व. श्री सरजू मौर्य	कोरबा
80.	128	श्री शिव प्रसाद खुंटे	श्री कार्तिक राम खुंटे	कोरबा
81.	131	श्री मनोहर लाल कश्यप	श्री देवनारायण कश्यप	कोरबा
82.	132	श्री ओम प्रकाश साहू	श्री भोला राम साहू	कोरबा
83.	142	श्री सुखनाथ राम भगत	श्री एतवा राम भगत	कोरबा (पूर्व)
84.	146	श्री वेंकट रमन	श्री ए. सोमलू	कोरबा (पूर्व)
85.	147	श्री चेतन कुमार वर्मा	श्री द्वारिका प्रसाद वर्मा	कोरबा (पूर्व)
86.	148	श्री दया राम ठाकुर	स्व. श्री व्ही. आर. ठाकुर	कोरबा (पूर्व)
87.	149	श्री ओम प्रकाश ओग्रे	श्री संतराम	कोरबा
88.	150	श्री मुन्ना अंसारी	श्री मोहम्मद हुसैन	कोरबा
89.	151	श्री हनुमंत लाल निषाद	श्री प्रेम लाल निषाद	कोरबा
90.	154	श्री विजय कुमार कैवर्त	श्री जगदीश प्रसाद	कोरबा
91.	155	श्री राजेश कुमार द्विवेदी	स्व. श्री सुग्गा लाल द्विवेदी	कोरबा
92.	158	श्री भरत लाल साहू	श्री ननकी लाल साहू	कोरबा
93.	161	श्री रघुवीर शरण विश्वकर्मा	श्री चौथी विश्वकर्मा	कोरबा
94.	162	श्री शिव कुमार पाटले	श्री शत्रुघन लाल पाटले	कोरबा
95.	163	श्री रविन्द्र सोनवानी	श्री मंगल राम सोनवानी	कोरबा
96.	164	श्री पी. सूर्या नारायण	श्री पी. डंडासी	कोरबा (पूर्व)
97.	165	श्री होमन सिंह	श्री पुरुषोत्तम सिंह	कोरबा (पूर्व)
98.	167	श्री पवन कुमार वर्मा	श्री पुनित राम वर्मा	बिलासपुर
99.	168	श्री रोहित कुमार विश्वकर्मा	श्री गोपाल कुमार विश्वकर्मा	बिलासपुर
100.	169	श्री शैलेन्द्र कुमार तिवारी	श्री प्रेम नाथ तिवारी	बिलासपुर
101.	170	श्री प्रदीप कुमार पटेल	श्री जगदीश प्रसाद पटेल	बिलासपुर
102.	171	श्री दीपक कुमार केंवट	श्री दरस राम केंवट	बिलासपुर
103.	172	श्री रामकुमार साहू	श्री रामायण प्रसाद साहू	बिलासपुर
104.	173	श्री सुरेन्द्र कुमार गहवई	स्व. श्री भागवत प्रसाद गहवई	बिलासपुर
105.	174	श्री त्रिलोकी नाथ तम्बोली	श्री शिव कुमार तम्बोली	बिलासपुर
106.	175	श्री सुनील खुसरो	श्री संतूराम खुसरो	बिलासपुर
107.	176	श्री हिरेन्द्र कुमार गहवई	स्व. श्री शंकर लाल गहवई	बिलासपुर
108.	177	श्री राम कुमार निर्मलकर	श्री रामेश्वर प्रसाद निर्मलकर	बिलासपुर
109.	178	श्री रामेश्वर प्रसाद पटेल	श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल	बिलासपुर
110.	179	श्री घनश्याम प्रसाद गुप्ता	तुलाराम गुप्ता	बिलासपुर
111.	180	श्री शंकर लाल स्वर्णकार	श्री वेद प्रकाश स्वर्णकार	बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
112.	181	श्री अजीत कुमार साहू	श्री पंचराम साहू	बिलासपुर
113.	182	श्री घनश्याम प्रसाद साहू	श्री भैया राम साहू	बिलासपुर
114.	183	श्री विनीत मिश्रा	बलदेव प्रसाद मिश्रा	बिलासपुर
115.	184	श्री राजकुमार जोगी	श्री मिठ्ठूलाल जोगी	बिलासपुर
116.	185	श्री पंखिल कुमार जैन	श्री दिनेश कुमार जैन	रायपुर
117.	190	श्री सुशील कुमार वर्मा	श्री बिसाहू राम वर्मा	रायपुर
118.	191	श्री कमल सिंह	श्री रवि सिंह	रायपुर
119.	193	श्री दुलीचंद साहू	श्री बिशाल राम साहू	रायपुर
120.	194	श्री उमेश शर्मा	श्री राघवेन्द्र शर्मा	रायपुर
121.	195	श्री नवल किशोर वर्मा	श्री महादेव प्रसाद वर्मा	रायपुर
122.	197	श्री खिलावन प्रसाद	श्री भागीरथी	रायपुर
123.	198	श्री अश्वनी कुमार	श्री मन्नू लाल	रायपुर
124.	199	श्री बेदराम कोसले	श्री तिरिथ राम कोसले	रायपुर
125.	200	श्री उमेश कुमार निर्मलकर	श्री जागेश्वर प्रसाद निर्मलकर	रायपुर
126.	201	श्री मुकेश कुमार यदु	श्री गोवर्धन यदु	रायपुर
127.	202	श्री परमेश्वर यदु	श्री भरत लाल यदु	रायपुर
128.	204	श्री कमल नारायण वर्मा	श्री राम सेऊक वर्मा	रायपुर
129.	205	श्री मूलचंद यादव	श्री चैतराम यादव	रायपुर
130.	206	श्री प्रकाश देवांगन	श्री भगवान सिंह	रायपुर
131.	208	श्री श्रवण कुमार भट्टाचार्य	श्री बैसाखू राम भट्टाचार्य	राजनांदगांव
132.	210	श्री संजय भूषण मिश्रा	स्व. इंद्रभूषण मिश्रा	राजनांदगांव
133.	211	श्री प्रमोद कुमार साहू (सोनपेलना)	श्री नेहरुलाल साहू (सोनपेलना)	राजनांदगांव
134.	212	श्री शिवकुमार साहू	श्री तुलेश्वर साहू	राजनांदगांव
135.	213	श्री गोपेश्वर कुमार वर्मा	श्री कार्तिक राम वर्मा	राजनांदगांव
136.	214	श्री राजेश कुमार वर्मा	श्री चेतन लाल वर्मा	रायपुर
137.	216	श्री विशाली राम चन्द्राकर	श्री बेनीराम चन्द्राकर	रायपुर
138.	217	श्री रामकरण निशाद	श्री राहस राम निशाद	रायपुर
139.	218	श्री जीवन लाल पटेल	स्व. श्री सोनसाय पटेल	रायपुर
140.	219	श्री राम खिलावन साहू	स्व. श्री चिनी लाल साहू	रायगढ़
141.	222	श्री बंधु प्रसाद वर्मा	श्री ओंकार प्रसाद वर्मा	रायपुर
142.	223	श्री कमलेश कुमार वर्मा	श्री बिसौहा राम वर्मा	रायपुर
143.	226	श्री अनुज कुमार वर्मा	श्री प्रीतम वर्मा	रायपुर
144.	227	श्री द्वारिका	श्री थनवार	रायपुर
145.	228	श्री राम शंकर	स्व. श्री मंडल	रायगढ़
146.	229	श्री विनोद कुमार	श्री धनुश प्रसाद	रायपुर
147.	230	श्री वृन्दावन दास	श्री दैत्यारी दास	रायपुर
148.	232	श्री सुनील कुमार	श्री दंगल प्रसाद	रायपुर
149.	233	श्री कानाई लाल सरकार	स्व. श्री एन. एस. सरकार	रायपुर
150.	234	श्री बालारुण शर्मा	श्री ऋशिराज शर्मा	रायपुर
151.	235	श्री दिनेश चन्द्र देवांगन	श्री नेमचन्द्र देवांगन	रायपुर
152.	236	श्री सत्यपाल सिंह	श्री मान सिंह	रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
153.	239	श्री दुर्गाशंकर	श्री रामसमुझ यादव	रायगढ़
154.	240	श्री रमेश कुमार यादव	श्री पुरनलाल यादव	रायपुर
155.	241	श्री गजेन्द्र कुमार वर्मा	श्री लक्ष्मण वर्मा	रायपुर
156.	242	श्री रमेश कुमार कुर्रे	श्री कुठुल राम कुर्रे	रायगढ़
157.	243	श्री निशिथ सेन	श्री निखिल सेन	रायपुर
158.	244	श्री अश्विनी कुमार	श्री भाकं चंद	रायपुर
159.	245	श्री विकास कुमार पटेल	श्री ज्ञानचंद पटेल	रायपुर
160.	246	श्री गजानन मानिकराव यावलीकर	श्री मानिकराव के. यावलीकर	रायपुर
161.	250	श्री जगदीश एस. गायकवाड़	श्री श्रावण गायकवाड़	रायपुर
162.	252	श्री भुनेश्वर साहू	स्व. श्री परम राम साहू	रायगढ़
163.	253	श्री अनिल कुमार निर्मलकर	श्री किशन निर्मलकर	रायपुर
164.	254	श्री हनुमान प्रसाद द्विवेदी	स्व. श्री अमरनाथ द्विवेदी	रायपुर
165.	255	श्री विनोद कुमार साहू	श्री विजय कुमार साहू	रायपुर
166.	256	श्री मनीष घोरमड़े	श्री गणेश घोरमड़े	रायपुर
167.	259	श्री सुसांत थटोई	श्री कनोली चरण थटोई	रायगढ़
168.	261	श्री सम्मेलाल राठौर	श्री गोपीराम राठौर	रायगढ़
169.	262	श्री रमेश कुमार कश्यप	श्री राम प्रसाद कश्यप	रायपुर
170.	264	श्री रवि कुमार नंत्थुलाल डडसेना	श्री नत्थु प्रेमलाल डडसेना	रायगढ़
171.	266	श्री संजय कुमार राऊत	श्री गोपबंधु राऊत	रायगढ़
172.	268	श्री राम भरोसा	श्री केशव राम	रायगढ़
173.	273	श्री गजभान प्रसाद जायसवाल	श्री फिरू राम जायसवाल	रायगढ़
174.	276	श्री सेतराम पटेल	श्री विद्याधर पटेल	रायगढ़
175.	279	श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा	श्री बिसहत राम वर्मा	रायपुर
176.	281	श्री सोहन कुमार मिश्रा	श्री भगवान मिश्रा	रायपुर
177.	282	श्री कमलेश्वर कौशिक	श्री बंशी लाल कौशिक	रायपुर
178.	283	श्री ओमप्रकाश उपाध्याय	श्री लक्ष्मण उपाध्याय	रायपुर
179.	284	श्री बृज भूषण बघेल	श्री बालीराम बघेल	रायपुर
180.	285	श्री नारायण चन्द्राकर	श्री शिव कुमार चन्द्राकर	धमतरी
181.	286	श्री विनोद कुमार पटेल	श्री गजाधर पटेल	रायपुर
182.	289	श्री जीवन लाल चौधरी	श्री रूपसिंह चौधरी	रायगढ़
183.	290	श्री राजकुमार कामले	श्री रामचन्द्र कामले	रायपुर
184.	292	श्री येश कुमार साहू	श्री जनक राम साहू	रायपुर
185.	293	श्री मीनकेतन चौधरी	स्व. श्री लोचन प्रसाद चौधरी	रायगढ़
186.	294	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह	श्री राम अवतार सिंह	रायगढ़
187.	295	श्री लक्ष्मीनारायण यादव	श्री सोनऊ राम यादव	रायपुर
188.	296	श्री कृष्णप्रकाश जी.व्ही.आर.	स्व. श्री सुब्रहमन्यम्	रायपुर
189.	297	श्री संजय कुमार गुप्ता	स्व. श्री सीताराम गुप्ता	रायगढ़
190.	300	श्री नरेश कुमार वर्मा	श्री हेमूलाल वर्मा	रायपुर
191.	301	श्री चन्द्रकांत अत्रे	स्व. श्री मुकुन्दराव अत्रे	रायपुर
192.	303	श्री उमाशंकर वर्मा	श्री मन्नूलाल वर्मा	रायपुर
193.	304	श्री सतीश कुमार	श्री कृष्ण कुमार	रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
194.	305	श्री महेश कुमार भोई	श्री पन्नालाल भोई	रायपुर
195.	306	श्री दिनेश कुमार वर्मा	श्री नरसिंग वर्मा	रायपुर
196.	307	श्री बिक्रम बेहेरा	श्री बालाजी बेहेरा	रायगढ़
197.	309	श्री संतोष कुमार देवांगन	श्री शत्रुहन लाल देवांगन	रायपुर
198.	310	श्री राकेश कुमार	स्व. श्री महेश कुमार	रायपुर
199.	311	श्री गायन दास साहू	श्री भजनलाल साहू	रायपुर
200.	312	श्री सुनील कुमार वर्मा	श्री केजूराम वर्मा	रायपुर
201.	313	श्री ताराचंद चन्द्रा	श्री झामेश्वर चन्द्रा	रायपुर
202.	314	श्री गौवकरण सिंह	श्री मानसिंग	रायपुर
203.	315	श्री विजय कुमार वर्मा	श्री लखन लाल वर्मा	रायपुर
204.	316	श्री दाराचंद पटेल	श्री प्रेमलाल पटेल	रायपुर
205.	319	श्री प्रत्युश तिवारी	श्री महेश कुमार तिवारी	रायपुर
206.	325	श्री उद्धव प्रसाद	श्री टुकर प्रसाद	रायपुर
207.	326	श्री खुबचंद कौशिक	स्व. श्री सहोरन कौशिक	रायपुर
208.	327	श्री डीकेश्वर साहू	श्री लोकनाथ साहू	रायपुर
209.	328	श्री डी. संतोष	श्री डी. शंकर राव	रायपुर
210.	329	श्री रवेन्द्र कुमार शर्मा	श्री अंगन लाल शर्मा	रायपुर
211.	330	श्री गौवकरण देवांगन	श्री विजय राम देवांगन	रायपुर
212.	331	श्री बीरेंद्र कुमार शर्मा	श्री बट्टी लाल शर्मा	रायपुर
213.	332	श्री ललीत कुमार उपवशी	स्व. श्री प्रभुलाल उपवशी	रायपुर
214.	333	श्री ईश्वर प्रसाद निशाद	श्री मोतीलाल निशाद	रायपुर
215.	334	श्री खेमलाल देवांगन	श्री परदेशी राम देवांगन	रायपुर
216.	335	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	श्री विष्णु कांत पाण्डेय	रायपुर
217.	336	श्री मनोज कुमार खुंटे	श्री गुहाराम खुंटे	रायपुर
218.	337	श्री शोभाराम मैरिशा	स्व. श्री छेदीलाल मैरिशा	रायपुर
219.	339	श्री तामेश्वर कुमार साहू	श्री शिव कुमार साहू	रायपुर
220.	340	श्री पुरानिक साहू	स्व. श्री छबि लाल साहू	रायपुर
221.	341	श्री संजय शर्मा	स्व. श्री नान्हू राम शर्मा	धमतरी
222.	342	श्री रविन्द्र कुमार वर्मा	स्व. श्री चिन्ताराम वर्मा	रायपुर
223.	343	श्री महेश कुमार	श्री देवसिंह विश्वकर्मा	रायपुर
224.	344	श्री गिरधर सिंग ध्रुव	श्री जयराम ध्रुव	रायपुर
225.	345	श्री रेखराम विश्वकर्मा	श्री तुलसीराम विश्वकर्मा	रायपुर
226.	346	श्री हेमंत कुमार	श्री फकीर सिंह	रायपुर
227.	348	श्री छेदू लाल साहू	श्री मोहन लाल साहू	रायपुर
228.	352	श्री कुलेश्वर प्रसाद यादव	श्री आनंद कुमार यादव	रायपुर
229.	353	श्री शेख मुश्ताक	श्री शेख महमूद	रायपुर
230.	354	श्री महंथ साह	श्री रामानन्द साह	रायपुर
231.	355	श्री पुरुशोत्तम बराटे	श्री वासुदेव	रायपुर
232.	356	श्री नेहरु लाल वर्मा	श्री बिसहत राम वर्मा	रायपुर
233.	357	श्री एम. डी. अजगर	श्री बासु मिया	धमतरी
234.	358	श्री उदित कुमार पटनायक	श्री कृष्ण कुमार पटनायक	रायगढ़

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
235.	359	श्री विजय लहरे	श्री रामलाल लहरे	रायगढ़
236.	360	श्री कृष्ण कुमार तिवारी	श्री साहेब लाल तिवारी	रायपुर
237.	363	श्री तरुण कुमार निशाद	श्री बिसौहा राम निशाद	रायपुर
238.	364	श्री आशिष कुमार मिश्रा	श्री कालिका प्रसाद मिश्रा	रायपुर
239.	366	श्री थॉमस कुजूर	स्व. श्री अथनस कुजूर	रायगढ़
240.	367	श्री तार्केश्वर कुमार वर्मा	श्री किशन लाल वर्मा	रायपुर
241.	368	श्री राजेश	श्री टीकाराम	रायपुर
242.	370	श्री मन्नू लाल निशाद	श्री घासी राम निशाद	रायपुर
243.	371	श्री रामचरण ध्रुव	श्री रामजी ध्रुव	रायपुर
244.	372	श्री सुनील कुमार मिश्रा	श्री पी. आर. मिश्रा	रायगढ़
245.	373	श्री निलेश कुमार श्रीवास	श्री रामाधार श्रीवास	रायपुर
246.	374	श्री सुनील बंजारे	श्री बिसत राम बंजारे	रायपुर
247.	375	श्री शिवकुमार सिंह	श्री राय साहब सिंह	धमतरी
248.	376	श्री यशु कुमार वर्मा	श्री पूरन लाल वर्मा	रायपुर
249.	379	श्री सत्यप्रकाश बघेल	श्री दुखितराम बघेल	रायपुर
250.	382	श्री करतेश कुमार लहरे	श्री भागवत प्रसाद लहरे	रायपुर
251.	387	श्री देवेन्द्र कुमार पटेल	श्री विश्वनाथ कुमार पटेल	रायपुर
252.	388	श्री महेश कुमार वर्मा	श्री छेदूराम वर्मा	रायपुर
253.	389	श्री संतोष कुमार	श्री तातूराम	रायपुर
254.	390	श्री हेमन्त कुमार साहू	श्री भरत लाल साहू	रायपुर
255.	392	श्री हरीराम	स्व. श्री मकानू	रायपुर
256.	393	श्री भगवानी प्रसाद गौतम	श्री लखन लाल गौतम	रायपुर
257.	394	श्री शत्रुहन लाल सोनी	श्री केशो दास सोनी	रायपुर
258.	395	श्री ओम प्रकाश	श्री रतीराम	रायपुर
259.	398	श्री सुशील कुमार	श्री भागबली	रायपुर
260.	399	श्री सतीश कुमार वर्मा	श्री शर्मालाल वर्मा	रायपुर
261.	400	श्री पुरनलाल यादव	श्री बिसाहू राम यादव	रायपुर
262.	401	श्री जीवन राम साहू	श्री पुनाराम साहू	धमतरी
263.	402	श्री नरेश कुमार वर्मा	स्व. श्री भैयाराम वर्मा	रायपुर
264.	403	श्री खेमलाल साहू	श्री ठाकुर राम साहू	रायपुर
265.	405	श्री भरत पटेल	श्री मनबोध प्रसाद	रायगढ़
266.	406	श्री संतोश कुमार	श्री श्याम चौधरी	रायगढ़
267.	407	श्री मनोज कुमार वर्मा	श्री टीकाराम वर्मा	रायपुर
268.	409	श्री संतोश कुमार रजक	श्री हरि राम रजक	रायपुर
269.	412	श्री अखिलेश कुमार त्रिपाठी	श्री बी. डी. त्रिपाठी	रायपुर
270.	413	श्री सुधांशु शेखर साहू	श्री डिलेश्वर साहू	रायगढ़
271.	414	श्री हेमचंद साहू	श्री भकला राम साहू	रायगढ़
272.	416	श्री शंभू दास मानिकपुरी	श्री भोकलो दास मानिकपुरी	रायगढ़
273.	420	श्री नरेन्द्र मोहन सिंह	स्व. श्री सुरेन्द्र सिंह	रायगढ़
274.	421	श्री अमित कुमार मिश्र	श्री बाल कृष्ण मिश्र	रायगढ़
275.	423	श्री प्रतापनारायण सिंह	श्री विन्ध्याचल सिंह	रायगढ़

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
276.	426	श्री टोपीधर पटेल	श्री मन्नूलाल पटेल	रायगढ़
277.	427	श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास	स्व. श्री सुद्धू राम श्रीवास	रायगढ़
278.	428	श्री बल्लभ कुमार पटेल	स्व. श्री नारायण प्रसाद पटेल	रायगढ़
279.	429	श्री बिमल खलखो	श्री मिखाएल खलखो	रायगढ़
280.	430	श्री मर्दगाजी राणा	श्री दयानिधि राणा	रायगढ़
281.	431	श्री शेखर समाद्दार	श्री साधन समाद्दार	रायगढ़
282.	433	श्री राजू बहिदार	श्री शंकर प्रसाद बहिदार	रायगढ़
283.	436	श्री सरयू बेहरा	श्री विष्णु बेहरा	रायगढ़
284.	439	श्री अशोक कुमार ओझा	श्री धर्मराज ओझा	रायगढ़
285.	440	श्री कन्हैया लाल चौहान	श्री चन्द्रिका प्रसाद चौहान	रायगढ़
286.	441	श्री देवनारायण धीवर	श्री लखन लाल धीवर	रायगढ़
287.	442	श्री महेश राम साहू	श्री कृपाराम साहू	रायगढ़
288.	443	श्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	श्री गोपाल प्रसाद पाण्डेय	रायगढ़
289.	445	श्री भूपेन्द्र कुमार बरेठ	श्री रामायण बरेठ	रायगढ़
290.	446	श्री रमेश कुमार पटेल	श्री राधेश्याम पटेल	रायगढ़
291.	450	श्री प्रमोद कुमार सिंह	श्री मुन्नीलाल सिंह	रायगढ़
292.	451	श्री मनोज कुमार मालाकार	श्री लोचन प्रसाद मालाकार	रायगढ़
293.	452	श्री राजेश कुमार पटेल	श्री अंशवीर दास	रायगढ़
294.	453	श्री तारेन्द्र कुमार बिसेन	श्री बुद्धन लाल बिसेन	रायपुर
295.	455	श्री अजय कुमार पाण्डेय	श्री विष्णुदत्त पाण्डेय	रायगढ़
296.	456	श्री समीर पखीरा	श्री साधन चन्द्र पखीरा	रायगढ़
297.	457	श्री शिवपूजन चौधरी	श्री विष्णुपद चौधरी	रायगढ़
298.	459	श्री बालेश्वर सिंह	श्री वीरेन्द्र सिंह	रायगढ़
299.	461	श्री योगेश कुमार डनसेना	श्री हरनारायण	रायगढ़
300.	463	श्री मकरध्वज चौहान	श्री विदशी चौहान	रायगढ़
301.	465	श्री रामकुमार पटेल	श्री बलीराम पटेल	रायपुर
302.	470	श्री फणीन्द्र कुमार साव	श्री चन्द्रमणी साव	रायगढ़
303.	473	श्री गोपेश कुमार वर्मा	श्री रुखुम लाल वर्मा	रायपुर
304.	474	श्री वंशीलाल जोशी	श्री अमरचंद जोशी	रायगढ़
305.	476	श्री रामचन्द्र नामदेव	श्री शिवप्रसाद नामदेव	मध्यप्रदेश
306.	477	श्री ऋषि चौहान	श्री प्रेमचन्द चौहान	मध्यप्रदेश
307.	478	श्री ललित कुमार सिंह	श्री शिव बहादुर सिंह	मध्यप्रदेश
308.	479	श्री उमेश यादव	श्री रामप्रगाश यादव	मध्यप्रदेश
309.	480	श्री जीतेन्द्र मारू	श्री शोभा राम मारू	मध्यप्रदेश
310.	482	श्री संतोश कुमार नापित	श्री मोले प्रसाद नापित	मध्यप्रदेश
311.	483	श्री तुफान सिंह शेलीवाल	श्री नारायण सिंह शेलीवाल	मध्यप्रदेश
312.	485	श्री कप्तान यादव	श्री पुष्कार नाथ यादव	मध्यप्रदेश
313.	486	श्री एम. संतोष कुमार	श्री एन. सूर्याराव	मध्यप्रदेश
314.	487	श्री विजय मरमट	श्री महेश मरमट	मध्यप्रदेश
315.	488	श्री कमल सिंह	श्री करण सिंह	मध्यप्रदेश
316.	490	श्री कमलेश कुमार कुर्मी	श्री भयाम लाल कुर्मी	मध्यप्रदेश

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
317.	491	श्री सत्यमान द्विवेदी	श्री शीवमूर्ति प्रसाद	मध्यप्रदेश
318.	492	श्री रंजीत कुमार सोनी	श्री अमृत लाल सोनी	मध्यप्रदेश
319.	493	श्री कमलेश सूर्यवंशी	श्री हरप्रसाद सूर्यवंशी	मध्यप्रदेश
320.	494	श्री लखन लाल रजक	श्री कुंवरमन रजक	मध्यप्रदेश
321.	495	श्री प्रेम नारायण कुर्मी	श्री होरी लाल कुर्मी	मध्यप्रदेश
322.	496	श्री जाधव जयेश	श्री जाधव शिवदास	मध्यप्रदेश
323.	497	श्री राजू राम चौहान	स्व. श्री सोमनाथ चौहान	कोरबा
324.	498	श्री हरिन्द्र यादव	श्री काशी यादव	मध्यप्रदेश
325.	500	श्री राकेश कुमार यादव	श्री अनिल यादव	मध्यप्रदेश
326.	502	श्री मुकेश कुमार कुर्मी	श्री सीताराम कुर्मी	मध्यप्रदेश
327.	504	श्री नलिन पवार	श्री कलिराम पवार	मध्यप्रदेश
328.	505	श्री लाखन सिंह राठौर	श्री रतनलाल जी राठौर	मध्यप्रदेश
329.	506	श्री दिपक कुमार	श्री भूरेलाल	उत्तराखण्ड
330.	507	श्री विक्रम मुंडरी	श्री सिंगराय मुंडरी	झारखण्ड
331.	508	श्री मंगल मांझी	श्री मैंसा मांझी	झारखण्ड
332.	509	श्री रमेश मुवेल	श्री झेतरा मुवेल	मध्यप्रदेश
333.	510	श्री कालुराम शर्मा	श्री दौलतराम शर्मा	राजस्थान
334.	513	श्री अनिल कुमार टेलर	श्री रामचन्द्र टेलर	मध्यप्रदेश
335.	516	श्री चन्द्रशेखर परगनिहा	श्री मुकुन्द लाल परगनिहा	रायपुर
336.	518	श्री तखत पाल	श्री रामदयाल पाल	रायपुर
337.	519	श्री प्रेम शंकर वर्मा	स्व. श्री खोरबाहरा वर्मा	रायपुर
338.	520	श्री रामकुमार देवांगन	स्व. श्री करनलाल देवांगन	जांजगीर/चांपा

एफ. के. भोई,
सचिव.